राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 2(1)डीओपी/ए–II/82 पार्ट   दिनांक: 7.08.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (पंचम- संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 01.07.2013 से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची–I का संशोधन.– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची–I में शीर्ष **ग्रुप 'क' (चिकित्सा क्षेत्र) (पृथक् महिला और पुरूष संवर्ग)** के अधीन,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

1.	नर्सिंग अधीक्षक	–	100%	–	नर्स ग्रेड–I	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 4 वर्ष का अनुभव।	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–I और अधीक्षक ग्रेड–II के विद्यमान पद विलयित किये गये हैं और अधीक्षक के रूप में पुनः पदाभिहित किये गये हैं।

"

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 2क को क्रम संख्यांक 2 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा) 7/8/2018
संयुक्त शासन सचिव

50/2018